भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3519
दिनांक 17.12.2024 को उत्तरार्थ

पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण

3519. श्री राजीव राय:
श्री इमरान मसूदः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में पंचायतों को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले सहित, इस प्रयोजन के लिए जारी की गई निधि/अनुदान तथा पंचायतों द्वारा उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) उत्तर प्रदेश राज्य में मऊ और बलिया जिलों की पंचायतों को विभिन्न योजनाओं के तहत इस उद्देश्य के लिए जारी धनराशि के उपयोग और व्यय का योजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग) पंचायत राज्य का विषय है, इसलिए ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराना प्राथमिक रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। हालांकि, 01.04.2022 से 31.03.2026 तक कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित/मांग के अनुसार कंप्यूटर उपलब्ध कराकर और सीमित पैमाने पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित करके जीपी के कामकाज का समर्थन करने की दिशा में पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरक बनाया जा रहा है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने जारी की गई राशि का उपयोग कंप्यूटर सहित विभिन्न घटकों के लिए किया, जैसा कि संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की प्राथमिकताओं के आधार पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए केंद्रीय हिस्से का विवरण और संचयी अप्रयुक्त शेष राशि **अनुबंध-I** में दी गई है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले अनुदान मंत्रालय की योजना नहीं हैं। हालाँकि, पंचायती राज मंत्रालय ने XIV FC अनुदानों की पूंजी और संचालन एवं रख-रखाव (ओ एंड एम) व्यय के तकनीकी और प्रशासनिक घटकों को पूरा करने के लिए दिनांक 16-12-2015 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं और XV FC मूल (अनटाइड) अनुदानों के साथ किए जा सकने वाले कार्यों/गतिविधियों की सांकेतिक मदों के लिए दिनांक 23-8-2021 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों के मामले में ग्राम पंचायतों में तथा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के मामले में पंचायतों/परंपरागत निकायों में, जिनके पास वर्तमान में कोई कंप्यूटर नहीं है, साथ ही एएमसी की लागत को चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों के तकनीकी और प्रशासनिक घटकों के साथ-साथ पंद्रहवें वित्त आयोग के मूल (अनटाइड) अनुदानों के व्यय की सांकेतिक सूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सहित पिछले पांच वर्षों के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना की परिकल्पना पंचायतों की ई-गवर्नेंस क्षमताओं को विकसित करना है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर बेहतर सेवा प्रदान करना और पंचायत शासन को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। इस योजना के अंतर्गत, ई-गवर्नेंस पहल जैसे कि ई-ग्राम स्वराज, एक सरलीकृत कार्य-आधारित नियोजन और लेखांकन एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जिससे सभी पंचायतों के लिए अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजनाएँ (पीडीपी) ऑनलाइन मोड में तैयार करना और अपलोड करना संभव हो गया है। मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए विक्रेताओं/सेवाप्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए ई-ग्राम स्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया है। ई-पंचायत एमएमपी के तहत, पंचायतों में ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। ई-पंचायत एप्लीकेशनों के रखरखाव के लिए केंद्रीय स्तर के समर्थन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) को निधियाँ उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले पांच वर्षों के लिए ई-पंचायत एमएमपी के तहत वर्षवार वार्षिक व्यय **अनुबंध-III** में दिया गया है।

पंचायतें अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करके ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। योजना वर्ष/वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,54,688 ग्राम पंचायतों ने 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) तैयार करके अपलोड कर दी हैं और ये ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध हैं। ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से पंचायतों द्वारा किए गए व्यय की रिपोर्ट ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन (https://egramswaraj.gov.in/pfmsDashboardNew.do) के डैशबोर्ड सेक्शन में उपलब्ध है, जो सार्वजनिक डोमेन में है। कोई भी व्यक्ति डैशबोर्ड पर जाकर इन रिपोर्टों को देख सकता है। पिछले पाँच वर्षों में XV वित्त आयोग के लिए ई-ग्राम स्वराज के अंतर्गत ऑनबोर्डिंग में उत्तर प्रदेश सहित राज्यों द्वारा की गई प्रगति **अनुबंध-IV** में दी गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्राम स्वराज को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकृत किया है। इस एकीकरण से पंचायतों को ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म में जीईएम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद करने की सुविधा मिलती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, केंद्रीय वित्त आयोग के उपयोग कि गई निधियों के ऑनलाइन ऑडिट के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लीकेशन भी विकसित की गई है, जो पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करती है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत जैसे एप्लीकेशन ने पंचायत में नियोजन, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता तक पहुँचाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी तरह, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

***

अनुबंध-I

'पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण' के संबंध में दिनांक 17.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3519 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों को निधियां जारी की गईं</u>

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**06.12.2024 तक संचयी अप्रयुक्त शेष राशि**
1	आंध्र प्रदेश	22.34	38.54	0	0.000	0.00	27.07
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0.790	1.00	0.53
3	अरुणाचल प्रदेश	0	30.07	108.69	72.090	58.91	30.52
4	असम	26.12	44.04	55.29	77.696	44.33	25.86
5	बिहार	0	63.77	33.37	25.000	0.00	45.32
6	छत्तीसगढ़	4.04	7.93	0	17.570	15.50	29.78
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	1.14	1.000	0.00	0.25
8	गोवा	0	0.59	0	0.890	0.50	1.05
9	गुजरात	0	0	0	0.000	0.00	15.35
10	हरियाणा	9.89	0	0	0.000	0.00	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	22.1	32.42	60.645	19.310	27.21	33.36
12	जम्मू और कश्मीर	25	40	40	65.000	50.00	18.26
13	झारखंड	2.34	7.74	0	31.000	0.00	33.33
14	कर्नाटक	0.44	29.15	36	20.000	0.00	15.10
15	केरल	8.13	12	30.4	10.000	10.00	8.24
16	लक्षद्वीप	0	0	0	0.000	0.00	0.00
17	लद्दाख	2.15	1.08	0	1.000	0.00	0.00
18	मध्य प्रदेश	71.42	47.11	28	32.170	40.00	60.97
19	महाराष्ट्र	66.76	73.34	37.84	116.118	60.00	65.77
20	मणिपुर	3.41	2.98	8.63	9.560	0.00	0.58
21	मेघालय	3.97	0	0	6.000	6.00	4.77
22	मिजोरम	21.19	5.56	14.27	10.000	10.00	11.38
23	नागालैंड	3.72	4.58	0	10.000	10.00	10.47
24	ओडिशा	2.94	1.33	11.397	27.334	9.32	8.29
25	पुदुचेरी	0	0	0	0.000	0.00	0.00

क्र.सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	06.12.2024 तक संचयी अप्रयुक्त शेष राशि
26	पंजाब	13.45	10.78	34.253	10.000	0.00	18.70
27	राजस्थान	12.98	17.27	0	21.720	0.00	16.81
28	सिक्किम	4.75	1.19	6.01	6.000	5.00	6.20
29	तमिलनाडु	56.88	39.89	25.42	0.000	30.00	32.67
30	तेलंगाना	12	0	0	20.000	0.00	0.52
31	त्रिपुरा	2.53	4.67	9.8	7.430	5.00	6.08
32	उत्तर प्रदेश	32.54	83.08	85.05	84.126	17.77	42.77
33	उत्तराखंड	26.75	0	42.48	64.670	25.00	9.52
34	पश्चिम बंगाल	33.52	15.14	4.28	33.692	37.68	41.16
	कुल	**491.36**	**614.25**	**672.97**	**800.166**	**463.22**	**620.68**

अनुबंध-II

दिनांक 17.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3519 के उत्तर में भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत जारी निधि का राज्यवार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए में)

		चौदहवाँ वित्त आयोग	पंद्रहवां वित्त आयोग			
क्र.सं.	**राज्य**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	आंध्र प्रदेश	2336.56	2625	1917.85	1976.75	1997.45
2	अरुणाचल प्रदेश	221.38	231	119		
3	असम	1462.45	1604	1186	1228	1241
4	बिहार	5674.7	5018	3709	3842	3855.33
5	छत्तीसगढ़	1415.89	1454	1075	1114	1125
6	गोवा	36.12	75	55	33.92	
7	गुजरात	2331.33	3195	2362	2446	2473
8	हरियाणा	1048.53	1264	935	967.3	953.59
9	हिमाचल प्रदेश	488.64	429	317	329	318.04
10	झारखंड	1632.59	1689	1249	1293	1307
11	कर्नाटक	2504.13	3217	2375.5	2093.55	2086.59
12	केरल	1084.73	1628	1203	1246	1260
13	मध्य प्रदेश	3660.14	3984	2944	3050	2819.24
14	महाराष्ट्र	4059.55	5827	4267.16	3696.71	3629.21
15	मणिपुर	55.63	177	65.5		
16	मेघालय*	N.A.	182	67.5		
17	मिजोरम*	N.A.	93	69	71	
18	नागालैंड*	N.A.	125	92		
19	ओडिशा	2389.54	2258	1669	1728	1746.91
20	पंजाब	1104.58	1388	1026	1062	1058.35
21	राजस्थान	3681.01	3862	2854	2955.34	2847.96
22	सिक्किम	40.09	42	31	33	33
23	तमिलनाडु	1821.11	3607	2666	2761	2791
24	तेलंगाना	1451.3	1847	1365	1415	1424.18
25	त्रिपुरा	90.63	191	141	147	148
26	उत्तर प्रदेश	9659.47	9752	7208	7466	7547
27	उत्तराखंड	508.31	574	418.7	439.21	444.13
28	पश्चिम बंगाल	3703.25	4412	3261	3378	3415
	कुल	**52461.66**	**60750**	**44648.22**	**44771.77**	**44520.96**

* चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान गैर भाग-IX राज्यों को प्रदान नहीं किए गए

अनुबंध –III

'पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण' के संबंध में दिनांक 17.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3519 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध_

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना पर वार्षिक व्यय का विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	**बजट अनुमान (बी.ई.)**	**संशोधित अनुमान (आर.ई.)**	**वास्तविक व्यय**
2019-20	15.50	7.50	7.25
2020-21	20	17.82	17.79
2021-22	20	11.71	11.71
2022-23	20	15	15
2023-24	20	16.28	16.03

अनुबंध-IV

'पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण' के संबंध में दिनांक 17.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3519 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध_

पिछले पांच वर्षों में राज्यों द्वारा प्राप्त की गई प्रगति का विस्तृत ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	2024-25				2023-24				2022-23				2021-22				2020-21			
		ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष की कुल संख्या	स्वीकृत जीपीडीपी की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष की कुल संख्या	स्वीकृत जीपीडीपी की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष की कुल संख्या	स्वीकृत जीपीडीपी की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ ग्राम पंचायतें और समकक्ष Payment	ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष की कुल संख्या	स्वीकृत जीपीडीपी की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष की कुल संख्या	स्वीकृत जीपीडीपी की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ ग्राम पंचायतें और समकक्ष
1	आंध्र प्रदेश	13328	13310	13296	12754	13328	13305	13296	13095	13371	13323	13293	2	13371	13351	13292	0	13422	13200	13292	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2098	2106	157	2108	2085	2106	1449	2108	2103	2100	1218	2114	1902	2100	0	2100	1698	2072	0
3	असम	2662	2195	2197	2138	2662	1943	2197	2191	2662	2196	2197	2185	2664	2196	2197	1973	2664	2157	2197	2197
4	बिहार	8054	8053	8054	7986	8176	8056	8176	8057	8176	8067	8176	7954	8221	8221	8221	7924	8387	8386	8387	15
5	छत्तीसगढ	11596	11580	11594	11344	11655	11633	11654	11249	11659	11654	11658	11546	11628	11628	11627	11271	11666	11663	11663	11388
6	गोवा	191	188	191	81	191	167	191	86	191	190	191	138	191	191	191	169	191	191	191	98
7	गुजरात	14655	14518	14591	13226	14627	14342	14591	13852	14614	14217	14578	13435	14343	14221	14277	13168	14308	14274	14242	1

8	हरियाणा	6225	6211	6220	5676	6225	6114	6220	5653	6232	6224	6225	3765	6237	6178	6230	3653	6304	6159	6284	4497
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3615	3614	3419	3615	3601	3614	3545	3615	3610	3614	3563	3616	3599	3614	1321	3654	3223	3614	29
10	जम्मू और कश्मीर	4291	3946	4291	0	4286	3933	4286	1912	4291	4289	4291	4222	4291	2027	4291	4251	4277	56	4277	4231
11	झारखंड	4345	4334	4345	4298	4345	4342	4345	4341	4345	4345	4345	4338	4353	4350	4353	4348	4364	4363	4364	4268
12	कर्नाटक	5954	5946	5953	5930	5953	5946	5953	5936	5958	5952	5958	5942	5968	5954	5967	5919	6008	6008	6008	5940
13	केरल	941	941	941	935	941	941	941	940	941	941	941	940	941	941	941	941	941	941	941	0
14	लद्दाख	193	193	193	0	193	192	193	0	193	193	193	82	193	193	193	151	193	0	193	173
15	मध्य प्रदेश	23011	23000	23009	22951	23012	23002	23010	22700	23032	22988	23020	21495	23129	22708	23098	22126	22813	22801	22810	22496
16	महाराष्ट्र	27911	27750	27828	25461	27833	27743	27796	26528	27904	27791	27858	26185	27902	27878	27869	18364	27903	27876	27863	1264
17	मणिपुर	3180	0	161	109	3180	0	161	0	3812	758	161	160	3812	2631	161	153	3811	161	161	160
18	मेघालय	6817	0	0	0	6800	0	0	0	6760	0	0	0	6760	0	0	0	6758	0	0	0
19	मिजोरम	842	670	842	832	843	670	841	785	834	833	834	764	834	832	834	832	834	834	834	2
20	नगालैंड	1289	0	186	0	1293	0	186	0	1293	0	185	0	1293	1122	185	0	1280	0	185	0
21	ओडिशा	6794	6794	6794	6789	6798	6794	6798	6788	6798	6794	6798	6773	6798	6798	6798	6734	6798	6797	6798	6714
22	पंजाब	13236	13190	13219	8824	13241	13229	13223	11627	13241	13206	13207	9813	13268	13239	13229	10309	13270	13225	13228	8082
23	राजस्थान	11211	11200	11206	10441	11255	11247	11251	11029	11342	11305	11321	11245	11343	11315	11322	8493	11347	11216	11320	3858
24	सिक्किम	199	199	199	188	199	199	199	179	199	184	198	175	185	185	185	130	185	185	185	4
25	तमिलनाडु	12525	12003	12525	12501	12525	12410	12525	12449	12525	12513	12524	12029	12524	12516	12522	7783	12519	12504	12517	7986
26	तेलंगाना	12771	12762	12768	12595	12769	12712	12769	12758	12769	12758	12769	12543	12773	12769	12769	0	12771	12764	12767	0

27	त्रिपुरा	1194	1176	1176	1137	1178	1176	1178	1176	1178	1176	1178	1158	1178	1178	1178	1177	1178	1178	1178	1176
28	उत्तराखंड	7795	7792	7794	7728	7795	7791	7794	7773	7813	7804	7812	7731	7791	7791	7791	6291	7791	7791	7791	7763
29	उत्तर प्रदेश	57691	57686	57691	57496	57754	57622	57752	57662	58842	58137	58807	58151	58842	58236	58807	57857	58984	58673	58947	58425
30	पश्चिम बंगाल	3339	3338	3339	3338	3339	3339	3339	3225	3340	3225	3340	3223	3340	3228	3340	3213	3340	3229	3340	1863
	कुल	**267963**	**254688**	**256323**	**238334**	**268119**	**254534**	**256585**	**246985**	**270038**	**256776**	**257772**	**230775**	**269903**	**257378**	**257582**	**198551**	**270061**	**251553**	**257649**	**152630**

12.12.2024 तक ईग्रामस्वराज पर उपलब्ध डाटा के अनुसार